



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2024]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 24, 2011/कार्तिक 2, 1933

No. 2024]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 2011/KARTIKA 2, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2011

(आयकर)

का.आ. 2429(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये 1 नवम्बर, 2011 को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में,—

(अ) नियम 31क में—

(क) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए उप-नियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी—

(i) उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट नियत तारीख तक देनी होगी, यदि कटौतीकर्ता सरकार का कार्यालय है; और

(ii) यदि कटौतीकर्ता, खंड (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति है तो उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट नियत तारीख तक देनी होगी।

सारणी

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष के तिमाही के समाप्त होने की तारीख | नियत तारीख                                                                         | नियत तारीख                                                                          |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 30 जून                                         | वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई                                                           | वित्तीय वर्ष की 15 जुलाई                                                            |
| 2.       | 30 सितम्बर                                     | वित्तीय वर्ष की 31 अक्टूबर                                                         | वित्तीय वर्ष की 15 अक्टूबर                                                          |
| 3.       | 31 दिसम्बर                                     | वित्तीय वर्ष की 31 जनवरी                                                           | वित्तीय वर्ष की 15 जनवरी                                                            |
| 4.       | 31 मार्च                                       | वित्तीय वर्ष, जिसके लिए कटौती की गई है, के ठीक पश्चात्पूर्वी वित्तीय वर्ष की 15 मई | वित्तीय वर्ष, जिसके लिए कटौती की गई है, के ठीक पश्चात्पूर्वी वित्तीय वर्ष की 15 मई” |

(ख) उप-नियम (4) में, खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(vii) पाने वाले द्वारा धारा 197क की उप-धारा (1) या उप-धारा (1क) या उप-धारा (1ग) के अधीन घोषणा प्रस्तुत करने को ध्यान में रखते हुए, संदत्त या जमा की गई उस रकम की विशिष्टियां देगा जिस पर कर की कटौती नहीं की गई है।”

(आ) नियम 37खक के उप-नियम (2) में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) जहां अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन वह संपूर्ण आय का उसका कोई भाग जिस पर स्रोत पर कर की कटौती की गई है वह व्यक्ति जिससे कटौती की गई है, से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में निर्धारण योग्य है, वहां स्रोत पर कटौती किए गए, यथास्थिति, संपूर्ण कर या उसके किसी भाग के लिए मुजरा अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा न कि कटौतीकर्ता को :

परंतु वह व्यक्ति, जिससे कटौती की गई है, कटौतीकर्ता को घोषणा फाइल करेगा और कटौतीकर्ता उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर की कटौती से संबंधित सूचना किसी अन्य व्यक्ति के नाम में कर कटौती की रिपोर्ट देगा।”

[अधिसूचना सं. 57/2011/फा. सं. 142/23/2011-एसओ(टीपीएल)]

राजेश कुमार भूत, निदेशक (कर नीति और विधान)

**टिप्पण :**—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं. का.आ. 2394(अ) तारीख 17 अक्टूबर, 2011 द्वारा आयकर नियम (सातवां संशोधन) द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया।